रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-25022026-270478
CG-WB-E-25022026-270478

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 966] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947
No. 966] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त कार्यालय)

आदेश

कोलकाता, 24 फरवरी, 2026

का.आ. 1010(अ).— जबकि अधिसूचना संख्या एस. ओ. 2523 (ई) दिनांक 18 जून 2021 के द्वारा पटसन आयुक्त ने पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 6(1) (i) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक जूट वर्ष (जुलाई-जून) (कच्चा एवं पक्का, बेल वाले या बेलरहित कच्चा जूट) में 500 किलोग्राम या इससे अधिक मात्रा के कच्चे जूट का व्यापार करनेवाले डीलरों/व्यापारियों/एजेंसियों /स्टॉकधारियों को निर्देश दिए थे कि इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय के वेबसाइट (jutecomm.gov.in) एवं 'जूट स्मार्ट" पोर्टल पर पंजीकरण करने हेतु आवेदन करें। एस.ओ. 2523(ई) दिनांक 18 जून, 2021 के खण्ड 4 में उल्लिखित था कि "एक निर्धारित तिथि होगी, जिसका निर्धारण यथा समय किया जाएगा। इस तिथि के बाद किसी भी व्यापारी / डीलर/ एजेंसी या स्टॉकिस्ट इत्यादि को कच्चे जूट के व्यापार/स्टॉकिंग की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी और जो व्यापारी / डीलर / एजेंसी /स्टॉकिस्ट उस तिथि तक पंजीकरण नहीं करते हैं उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तथा कानून के तहत उन्हें सजा भी दी जाएगी" |

2. जबकि, आदेश दिनांक 29.06.2022, 07.07.2023, 05.03.2024 एवं 29.05.2025 के द्वारा कच्चे जूट के डीलरों/व्यापारियों/एजेंसियों /स्टॉकधारियों को जूट स्मार्ट पोर्टल पर पंजीकृत कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।

3. पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खण्ड 5 (2) में उल्लिखित कारकों तथा खण्ड 5 (1) (i) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अमृत राज, पटसन आयुक्त, एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती हूँ कि दिनांक 01.04.2026 से जूट

मिल ऐसे स्टॉकिस्ट/व्यापारी / डीलर / एजेंसी जो पटसन आयुक्त कार्यालय के साथ वैध पंजीकरण नहीं रखते हैं, से कच्चे जूट की खरीद नहीं करेंगे।

4. दिनांक 01.04.2026 से जूट मिलों के लिए यह अनिवार्य होगा कि क्रय आदेश/रूक्का में आपूर्तिकर्ता/दलाल का पटसन आयुक्त के साथ पंजीकरण संख्या का अवश्य उल्लेख किया जाए तथा जूट स्मार्ट पोर्टल अर्थात https://smart.jutecomm.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत मिल रसीद विवरणी में भी परेषक (कन्साइनर) के पंजीकरण संख्या का अवश्य उल्लेख किया जाए।

5. ऐसे स्टॉकिस्ट / व्यापारी जिनके पास पटसन आयुक्त के साथ वैध पंजीकरण है उनकी सूची पटसन आयुक्त के वेबसाइट https://jutecomm.gov.in पर आवधिक तौर पर अद्यतित की जाएगी।

6. यह आदेश दिनांक 01.04.2026 से लागू हो जाएगा तथा अगले आदेश तक वैध रहेगा।

[फा. सं. जूट (टी)-6/1/178/जीएन(34)/2019-I(ई)]

अमृत राज, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

ORDER

Kolkata, the 24th February, 2026

S.O. 1010(E).— Whereas, vide notification S.O. 2523 (E) dated 18th June 2021, Jute Commissioner in exercise of powers conferred under Clause 6 (1) (i) of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 directed that all dealers / traders / agencies / stockists etc. trading with 500 kgs or more quantity of raw jute in a jute year (July-June) (kutcha and pucca, baled and unbaled raw jute) to apply to the office of the Jute Commissioner for registration within a period of 30 days from the date of publication of this Order in the proforma in this office website [jutecomm.gov.in] & 'JUTE SMART' portal. The clause 4 of the S.O. 2523 (E) dated 18th June 2021 stated that "There shall be a fixed date, to be decided in due course, beyond which no trading/stocking of raw jute will be allowed by any trader/dealer/agency or stockists etc & the same will be prohibited & punishable by law for such traders / dealers / agency / stockists who do not register by that date."

2. Whereas, vide orders dated 29.06.2022, 07.07.2023, 05.03.2024 and 29.05.2025; sufficient opportunity has been given for the dealers/traders/agencies/stockists of raw jute to register on the Jute SMART portal.

3. After giving consideration to factors enumerated in Clause 5 (2) and in exercise of the powers conferred on me by Clause 5(1) (i) of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016, I ,Amrit Raj, Jute Commissioner, hereby specify that with effect from 01.04.2026, the jute mills shall not purchase raw jute from the stockists / trader / dealer / agency which do not have a valid registration with O/o Jute Commissioner.

4. It shall be mandatory for the Jute Mills to submit the Registration Number with Jute Commissioner of the supplier/broker in the Purchase Order/Rukka and consignor in the Mill Receipt return submitted through the Jute SMART portal i.e. https://smart.jutecomm.gov.in with effect from 01.04.2026.

5. The list of stockists/traders who have a valid registration with O/o Jute Commissioner shall be updated periodically on the website of Jute Commissioner i.e. https://jutecomm.gov.in/

6. This Order shall come into force with effect from 01.04.2026 and shall remain valid until further orders.

[F. No. Jute(T)-6/1/178/GN(34)/2019-I(E)]

AMRIT RAJ, Jute Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA